

उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

"वनभूमि"
छस्तान्तरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

ऊखीमठ-रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम

:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंडला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को छस्तान्तरण।

ग्राम

:- शीशों-अमरतोंडला-बगड़धार, गणेशनगर

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र

:- गणेशनगर,

तहसील

:- ऊखीमठ,

जनपद

:- रुद्रप्रयाग,

क्षेत्रफल

:- 0.735 हैं पंचायती वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

0.098 हैं पंचायती वनभूमि मक डिपगं हेतु।

कुल वनभूमि = 0.833 हैं।

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्रमांक	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	संलग्न है / नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	7	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	8-12	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	13-15	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फ़िल्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	16	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	17	संलग्न है	
6	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	19	संलग्न है	
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	18-19	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।		संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	18	संलग्न है	
11	वैकल्पिक सरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	20-28	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	29	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	30-31	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	32	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	33	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	35-38	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/ सारांश।	40-41	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	39	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	43	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	44	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	45-46		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	47		
25	राष्ट्रीय पार्कों/ वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मात्र ५ हेक्टेएर में अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्कों/ वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	48	संलग्न है	
27	लागत लाभ विश्लेषण (५ हेक्टेएर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग ५ हेक्टेएर से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	49-53	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।

31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आव्याप्ति।	54-56	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	57	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉक्सिकोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	58	संलग्न है	
34	मानक शर्तों में मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	59-60	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	61	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	62	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	63	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	64	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	65	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्रावक्कलन मध्य मानचित्र। (1 हेक्टर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	-	संलग्न नहीं है।	लागू नहीं है
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	-	"	"
42	1:50,000 ऐमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	-	"	"
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	-	"	"
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्रावक्कलन।	66-70		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	-		लागू नहीं है
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	-		"
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्रावक्कलन।	71-77	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	78	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावक्कलन।	80	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	81	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	-	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

- 1- परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंदला-कलाकोट-जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लोनिंगविं को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टर में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
शज्ज्य भूमि	शून्य
वन पंचायत भूमि	0.735 हेक्टर मोटर मार्ग हेतु + 0.098 हेक्टर मकड़ियां हेतु = 0.833 हेक्टर
नाप भूमि	1.755 हेक्टर मोटर मार्ग हेतु + 0.173 हेक्टर मकड़ियां हेतु = 1.928 हेक्टर
योग	2.761 हेक्टर

3-प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊर्ध्वीमठ

4-वन प्रभाग का नाम - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

हाँ/नहीं

हाँ/नहीं

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-वया भारत सरकार के प्रारूप के आग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- वया प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रस्तावित होने की दशा में संबन्धित वन संरक्षक का स्थलीय नियोजन प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वाया उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/नहीं

13 - संमेरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

हाँ/नहीं

14 – वया वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

हाँ/नहीं

15 – वया क्षतिपूरक वृक्षायोपण की विस्तृत योजना मर्य स्थल उपयुक्तता प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - वया मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षायोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 – प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास रिक्त

हाँ/नहीं

पड़े स्थानों की वृक्षायोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 – वया परियोजना वन्य जीवों के संरक्षण के दिल्ली से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 – प्रस्तावित क्षेत्र छाथी कोरीडोर का छिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 – वया प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 – प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं

(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बढ़ाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की

हाँ/नहीं

प्रति संलग्न करें)

- 22 - वहां मानवित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रगों से भरा गया है। - हाँ/नहीं
- 23 - यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानवित्र पर दर्शाया गया है। - हाँ/नहीं
- 24 - वहां प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायों / वैकल्पिक समरेखण मानवित्र पर दर्शाये गये हैं। - हाँ/नहीं

- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है) से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

हाँ/नहीं

29-मानवित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मलवे के निरस्तारण की योजना मरा मानवित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निरस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-वहां प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो वहां वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक रवीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-वहां प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

हाँ/नहीं

36-वहां चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूत्रानाएं संलग्न कर दी गई हैं

कानिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

वन अधिकारी
वन सत्याग्रही

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन सरकार
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

जिला योजना के अन्तर्गत ककोला-शीशों-अमरतोंदला-कलाकोट-
जयकण्डी-बगड़धार-काण्डा-गणेशनगर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन
भूमि का लोनिविं को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थीकृति शासनादेश सं 73/
विविध / 2013-14 दिनांक 26-12-2013 द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावटों को
बारहमासी संम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उत्तर मोटर मार्ग की 3.00 किमी लम्बाई में स्थीकृति प्राप्त हुयी
है, जिसकी धनराशी रु 37.80 लाख है। उत्तर मार्ग के संमरेखण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत्
है।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टौर में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
3	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डिम्पिं हेतु	1050	7	0.735 + → 0.098 = 0.833
	वनभूमि का योग:-	1050		0.833
4	नाप भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II)मक डिम्पिं हेतु	1950	9	1.755 + → 0.173 = 1.928
	कुल योग:-	3000	-	2.761

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्थीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि
हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

अमीन

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

संचायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (रुद्रप्रयाग)

Authority Letter

Er. Andeep Rana, Assistant Engineer son of Sh. D. S. Rana is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads and Bridges of Construction Division, P.W.D. Ukhimath (Agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of Er. Manoj Das, Executive Engineer (head of the Institution name /designation)



(Manoj Das)
Executive Engineer,
C.D, P.W.D. Ukhimath